न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमाः– अपील/03/2014

1. परमेश्वर पुत्र कालूराम
2. ममता पुत्री कालूराम
3. कंचन पुत्री कालूराम
4. पूनम पुत्री कालूराम
   समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम कन्टेवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर समस्त नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती नरबदी देवी पत्नि कालूराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कन्टेवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला – सीकर
5. श्रीमती नरबदी देवी पत्नि कालूराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कन्टेवा तहसील लक्ष्मणगढ़

–अपीलांटस

बनाम

1. कालूराम पुत्र भगवानाराम
2. मूलचंद पुत्र भगवानाराम
3. बजरंगलाल पुत्र भगवानाराम
4. ओमप्रकाश पुत्र भगवानाराम
5. गुलाबी पत्नि भगवानाराम
6. लक्ष्मीदेवी पत्नि मूलचंद
   समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम कन्टेवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.
7. ग्राम पंचायत हमीरपुरा पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ जिला – सीकर जरिये सरपंच
8. तहसीलदार तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर राज.

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामांतरकरण संख्या 1077 05.03.2014 द्वारा ग्राम पंचायत हमीरपुरा

–:निर्णयः–

दिनांक – 28.03.2018

अपीलांटस

अपीलार्थीगण कि ओर से प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है यह कि आराजियात खसरा नम्बर 37/1 रकबा 4.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 37/2 रकबा 0.97 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 25 रकबा 1.01 हैक्टेयर वाके ग्राम कन्टेवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर में अवस्थित उक्त आराजियात अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 की संयुक्त पैतृक अविभाजित आराजियात उक्त आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 को उनके पूर्वज भगवानाराम से विरासतन मिली है अपीलांट संख्या 1 ता 4 स्व. भगवानाराम के वैध उतराधिकारिगण के रूप में वादग्रस्त भूमियों पर काबिज काश्त चले आ रहे है वादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 37/1 रकबा 4.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 37/2 रकबा 0.97 हैक्टेयर में अपीलांट संख्या 1 ता 4 एवं रेस्पोडेंट संख्या 1, 1/5 पैतृक हक, हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है इस कारण उक्त आराजी ने अपीलांट संख्या 1 ता 4 प्रत्येक का 1/25, 1/25 पैतृक हक हिस्सा कानूनन मान्य है। खसरा नम्बर 25 रकबा 1.01 हैक्टेयर में अपीलांट संख्या 1 ता 4 एवं रेस्पोंडेंट संख्या 1,1/10 पैतृक हक हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है इस कारण उक्त आराजी ने अपीलांट संख्या 1 ता 4 प्रत्येक का 1/50,1/50 पैतृक हक पैतृक हिस्सा कानूनन मान्य है। रेस्पोडेंट संख्या 1 खसरा नम्बर 37/1, 37/2 में से 1/25 हक हिस्से से ज्यादा तथा खसरा नम्बर 25 में से 1/50 हिस्से से ज्यादा भूमि अंतरित करने का कानूनी अधिकारी नहीं है लेकिन दिनांक 09.08.2011 को रेस्पोंडेंट संख्या 2 व 3 ने स्पोडेंट संख्या 1 पर अपने असम्यक असर का दुरूपयोग कर हक परित्याग अपने हक में निष्पादित करवाकर उपपंजीयक लक्ष्मणगढ़ के यहां पंजीकृत करवा लिया जो उपपंजीयक लक्ष्मणगढ़ ने अपनी लेखा पुस्तिक में दिनांक 09.08. 2011 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 301 के पृष्ठ संख्या 62 की क्रम संख्या 3462 पर पर पंजीबद्ध किया गया है उक्त हक परित्याग अपीलांट के वैध हक, अधिकारों के मुकाबले आरम्भतः शून्य, फर्जी, कूटरचित, नुमाईशी असम्यक असर द्वारा निष्पादित व पंजीकृत दस्तावेज है इस पर अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के समक्ष दिनांक 17.08.2011को एक दावा संख्या 207/2011 बउनवान परमेश्वर बनाम कालूराम प्रस्तुत किया था जिसका उपखण्ड अधिकारी द्वारा 28.01.2014 को हक परित्याग को चुनौति के क्षैत्राधिकार के अभाव में खारिज कर दिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गया था तथा उक्त वाद का स्थगन भी हो गया था परन्तु उक्त आदेश दिनांक 28.01.2014 के विरूद्ध अपीलांट ने अपील राजस्व अपील अधिकारी सीकर के समक्ष दिनांक 17.02.2014 को प्रस्तुत की थी जो अपील संख्या 20/14 है उक्त अपील में स्थगन आदेश दिनांक 05.03. 2014को प्रभावी हो गये थे। परन्तु ग्राम पंचायत हमीरपुरा ने रेस्पोंडेंट संख्या 2 व 3 सं साजकर शून्य हक परित्याग दिनांकित 09.08.2011के आधार पर नामंतरकरण तस्दीक कर दिया जो लम्बित वाद सिद्धांत, स्थगन आदेश के बावजूद विधि के विरूद्ध नामांतरकरण अपीलांट के सुनवाई का अधिकार नहीं देने, अपीलांट नाबालिग होने रेस्पोंडेंट संख्या 2 व 3 का कोई कब्जा काश्त नहीं होने के कारण नामांतरकरण संख्या 1077 दिनांक 05.03.2014 को निरस्त बाबत अपील निम्न प्रकार से सेवामें सादर प्रस्तुत हैः— यह कि अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत हमीरपुरा द्वारा तस्दीक उपरोक्त नामांतरकरण संख्या 1077 दिनांकित 05.03.2014 विधिक व नियम विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

यह कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है। यह कि अपीलांट संख्या 1 ता 4 के दादा भगवानाराम की मृत्यु होने पर उक्त आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 को विरासतन मिली है अपीलांट भगवानाराम के वैध उतराधिकारी होने के कारण उक्त आराजी में रेस्पोडेंट संख्या 1 के साथ संयुक्त कब्जा, काश्त है आराजी खसरा नम्बर 37/1 एवं 37/2 भूमियां पैतृक कृषि होने से अपीलांट संख्या संख्या 1 ता 4 का रेस्पोडेंट संख्या 1 के जीवनकाल में ही 1/5 पैतृक हक हिस्सा कानूनन विधि मान्य है एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 का 1/25 संयुक्त हक, हिस्सा बनता है तथा खसरा नम्बर 25 भूमि पैतृक कृषि होने से अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट संख्या 1 का 1/10 संयुक्त हिस्सा बनता है रेस्पोडेंट संख्या 1 को खसरा नम्बर 37/1 37/2 में से 1/25 हक हिस्से से ज्यादा तथा खसरा नम्बर 25 में से 1/50 हक हिस्से से ज्यादा भूमि अंतरिम करने का कनूनी अधिकारी नहीं है लेकिन दिनांक 09. 08.2011 को रेस्पोंडेंट संख्या 2 व 3 ने रंस्पोडेंट संख्या 1 पर अपने असम्यक असर का दुरूपयोग कर हक परित्याग पत्र अपने हक निष्पादित व पंजीबद्ध करवा लिया जो विरूद्ध कानून होने के कारण उसको चुनौती अलग से सिविल न्यायालय में दी गयी है। ग्राम पंचायत हमीरपुर ने दिनांक 05.03.2014 को न्यायालय के स्थगन के बावजूद विधि विरूद्ध तरीके से नामांतरकरण तस्दीक किया जो निरस्तनीय योग्य है।

यह कि उक्त आराजी संयुक्त कब्जा, काश्त की है जिसमें खसरा नम्बर 37/1 एवं खसरा नम्बर 37/2 में रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपने हक हिस्से से 2/3 हिस्सा यानि सम्पूर्ण में से 2/5 हिस्सा का अवैध अन्तरण किया है इसी प्रकार खसरा नम्बर 25 में 1/10 हिस्से में से 2/3 हिस्सा यानि सम्पूर्ण में से 1/25 हिस्सा अवैध अन्तरण किया है उक्त आराजी का बंटवारा नहीं हुआ है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 के हक हिस्से पर अपीलांटस का कब्जा काश्त है, कब्जा का स्थानांतरण नहीं किया गया है तथा हक परित्याग बिना किसी पारिवारिक आवश्यक एवं बिना किसी प्रतिफल के उक्त दस्तावेजात के आधार पर ग्राम पंचायत हमीरपुरा ने नामांतरकण तस्दीक किया है जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।

यह कि चुनौतीग्रस्त नामांतरकण संख्या 1077 दिनांकित 05.03.2014 के दिन अपीलांटस अव्यस्क थे तथा उक्त नामांतरकरण शून्यू हक परित्याग दिनांकित 09.08.2011 के आधार पर तस्दीक किया गया है उस दिन भी अपीलांटस अव्यस्क थे कानूनन अव्यस्क के पैतृक हक हिस्से की अचल सम्पति को कोर्ट ऑफ वार्डस की लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित नहीं किया जा सकता तागि अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद एवं अपील तथा अपील स्थगन के बावजूद भी ग्राम पंचायत ने नामांतरकरण तस्दीक किया है। अपीलांटस को विधि की अनुपालना में नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत सुनवाई की अधिकार आदि के अनुपालना के अभाव में उपरोक्त नामांतरकरण संख्या 1077 दिनांकि 05.03.2014 ग्राम पंचायत ने नामांतरकरण संख्या तस्दीक किया जो विधि विरूद्ध एवं विरूद्ध कानून होने के कारण निरस्तनीय योग्य है।

यह कि रेस्पोडेंटस संख्या 2 व 3 ने दिनांक 11.03.2014 को ऐलानियां धमकी देने के कारण उक्त अपील प्रस्तुत करने का वाद कारण उत्पन्न होने के कारण उचित समय में प्रस्तुत की जा रही है। यह कि अपीलांट की आराजी कृषि भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अवस्थित होने के कारण क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है व नामांतरकरण संख्या 1077 दिनांकित 05.03.2014 ग्राम पंचायत हमीरपुरा द्वारा भरा गया है जो श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार में है। यह कि अपील उचित न्यायशुल्क पर सादर प्रस्तुत है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 1077 दिनांकित 05.03. 2014 द्वारा ग्राम पंचायत हमीरपुरा निरस्त फरमाया जावें।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरीये नोटिस रेस्पोंडेंटस को तलब किया गया। रेस्पोंडेंट सं. 1 ता 5 पर विधिवत तामील होने के बापजूद कोई भी उपस्थित नहीं रहने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोंडेंट सं. 6 कि ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित आये। इसी दौरान रेस्पोंडेंट सं. 2 व 6 कि ओर से प्रार्थना पत्र अंन्तर्गत आदेश 13 नियम 10 सपठित धारा 141 व 151 जा.दी. प्रस्तुत किया गया जिसके

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि यह कि अपील में अंकित तथ्यों के आलोक में वाद संख्या 207/11 शीर्षकीय प्रमेश्वर बनाम कालुराम तारिख फैसला 28.1.14 सुसंगत है, जो तलब किया जाना इस प्रकरण के निस्तारण के लिए आवश्यक है। यह कि मूल वाद जिन आधारों पर प्रस्तुत किया गया था, उसे इसी न्यायालय द्वारा अमान्य कर वाद खारिज किया गया था। माननीय न्यायालय का उक्त निर्णय किसी भी अपीलीय न्यायालय द्वारा अभी तक परिवर्तीत नहीं किया गया है। अपील कथित अव्यस्कगण की ओर से नर्बदीदेवी द्वारा पेश की गई है, जबकि प्रथम प्राकृतिक संरक्षक जीवित होना प्रकट है। ऐसे में भी पूर्व न्याय के संबंध में अवलोकन व परिक्षण आवश्यक हो जाता है। यह कि प्रक्रिया न्याय के लिए बनाई गई है। न्याय के लिए उक्त बाद की पत्रावली तलब किया जाना आवश्यक है। अतः आवेदन स्वीकार किया जाकर इसी न्यायालय में विचाराधीन रहे वाद संख्या 207/11 शीर्षकीय प्रमेश्वर बनाम कालुराम की पत्रावली इस अपील से पूर्व तलब किया जाना प्रार्थीनीय है।

बहस उभयपक्ष से सुनी गई। बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा अभिलेखों का अवलोकन किया। साथ ही रेस्पोडेंट सं. 2 व 6 कि ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंन्तर्गत आदेश 13 नियम 10 सपठित धारा 141 व 151 जा.दी. का भी अवलोकन किया। चूंकि अपील में खुद अपीलांट्स यह स्वीकार करके आ रहे है कि हक परित्याग को नुमाईशी पंजीकृत दस्तावेज मानते हुए हमने उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के समक्ष दिनांक 17.08.2011 को एक दावा सं. 207/2011 बउनवान परमेश्वर बनाम कालूराम आदि प्रस्तुत किया था जिसको उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ द्वारा दिनांक 28.01.2014 को हक परित्याग को चुनौती के क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज कर दिया था। रेस्पोंडेंट सं. 2 व 6 कि ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंन्तर्गत आदेश 13 नियम 10 सपठित धारा 141 व 151 जा.दी. में वर्णित सभी तथ्यों को अपीलांटस ने अपील में स्वयं ही लिखित में पेश किया है अतः पत्रावली को तलब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः रेस्पोंडेंट सं. 2 व 6 कि ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंन्तर्गत आदेश 13 नियम 10 सपठित धारा 141 व 151 जा.दी. सारहीन होने से खारिज किया जाता है। अपील प्रार्थना–पत्र में वर्णित हक परित्याग एक पंजीकृत दस्तावेत है जो स्वयं अपीलांट्स स्वींकार करते है। जिसको निरस्त करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में निहित हैं साथ ही अपीलार्थी खुद स्वीकार करके आ रहे है कि उपखड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ के आदेश दिनांक 28.10.2014 के विरूद्ध अपीलांट ने अपील राज़स्व अपील प्राधिकारी के समक्ष दिनांक 17.02.2014 को प्रस्तुत कर दी है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

–:आदेश:–

अतः अपीलान्टस की अपील साबित नहीं होने से व सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official